अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 994(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के कानूनी आदेश सं. 354(अ) द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा जाएगा) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.02.2005 के पत्र सं.15/13/05-आईपी एंड आईडी के माध्यम से सर्वेक्षण सं.5,15,17 कोंडापुर गांव, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स मीनाक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को एक औद्योगिक पार्क के रूप में अनुमोदन प्रदान किया था;

और, जबकि, केन्द्रीय सरकार (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण सं.5,15,17 कोंडापुर गांव, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स मीनाक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को भारत के राजपत्र के भाग-।।, खंड 3 के उपखंड (ii) में दिनांक 21 अगस्त, 2006 के का.आ. संख्या 3466 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना के द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि मैसर्स मीनाक्षी इंफ्रास्क्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने दिनांक 2 अगस्त, 2006 के पत्र द्वारा हैदराबाद स्थित 'डी पार्क' नामक औद्योगिक पार्क के प्रचालन और अनुरक्षण का हस्तांतरण मैसर्स विजय इन्फोटेक वेन्चर्स, सिकन्दराबाद को किए जाने हेतु आवेदन किया;

और जबकि केन्द्र सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 9 अगस्त, 2006 के अपने पत्र सं.15/3/05-आईपी एंड आईडी के जरिए उपक्रम के प्रचालन और अनुरक्षण के कार्य को मैसर्स विजय इन्फोटेक वेंचर्स, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित किए जाने के अनुरोध पर विचार किया;

और जबकि केन्द्र सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 10.04.2007 के अपने पत्र सं.15/12/2006-आईडी के जरिए दिनांक 17 फरवरी, 2005 को अनुमोदन सं. 15/13/2005-आईपी एंड आईडी के माध्यम से दिए गए अनुमोदन में पैरा 7(vii) में किए गए संशोधन को अनुमोदित किया;

और जबकि, केन्द्र सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने तदन्तर दिनांक 6 फरवरी, 2014 के पत्र सं.15/12/2006-आईपी एंड आईडी के माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के अपने पत्र सं. 15/12/2006-आईडी के जरिए निर्धारित शर्तों और निबंधनों में और कोई संशोधन करने का प्रस्ताव वापस कर दिया;

और जबकि, उपक्रम औद्योगिक पार्क स्कीम एवं केन्द्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ.3466, दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और प्रचार विभाग के अनुमोदन सं.15/12/2006-आईडी दिनांक 10 अप्रैल, 2007 में निर्धारित शर्तो और निबंधनों को पूरा करने में असफल रही है;

अब, अत: केन्द्र सरकार, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित अधिनियम की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड-(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 21 अगस्त, 2006 से उपक्रम के मामले में जारी दिनांक 21 अगस्त, 2006 की उक्त अधिसूचना सं.का.आ.3466 को रद्द करती है।

[अधिसूचना सं. 37/2015/फा.सं. 178/72/2006-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक